RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 2, Year : 4
Jul.-Aug.-Sep. (2017), Pages : 93 - 96
ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

गुप्तकाल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन (280ई0–550ई0)

ओमपाल सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षा शास्त्र विभाग
डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर (उ0प्र0)

Received : 18/06/2017 *1st BPR* : 21/06/2017 *2nd BPR* : 25/06/2017 *Accepted* : 01/07/2017

ABSTRACT

वैदिक काल में स्त्रियां वैदिक यज्ञों में भाग लेती थी एवं उनका उपनयन भी होता था, परन्तु गुप्त काल में नारी के सम्मान एवं अधिकारों में कमी आने लगी थी इनकी स्वतंत्रता को अनेक प्रकार से बाधित किया गया। इस युग में धर्म शास्त्रकारों ने स्त्रियों के उपनयन की प्रथा पर पूर्ण रोक लगा दी जिससे स्त्रियों के शैक्षिक अधिकार भी बाधित हुए। उच्च एवं सामान्य दोनों वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था उनकी सामाजिक स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गयी परन्तु इनको शिक्षित करने का उद्देश्य मात्र इतना था कि वे अपने पारिवारिक जीवन का संचालन कुशलतापूर्वक कर सकें। यद्यपि समृद्ध परिवारों में शिक्षा का किसी हद तक प्रचार था तथापि सामाजिक एवं धार्मिक आदर्शो के परिवर्तन तथा राजनैतिक उथल–पुथल के कारणों से जन साधारण में स्त्री शिक्षा का उत्तरोत्तर ह्रास दृष्टिगोचर होता है।

गुप्त कालीन भारतीय समाज परमपरागत चार जातियों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इस काल में कुछ मिश्रित जातियों का भी उल्लेख है। गुप्तकाल में समाज में स्त्रियों की स्थिति के विषय में इतिहासकार रोमिला थापर ने लिखा है कि साहित्य और कला में तो नारी का आदर्श रूप झलकता है पर व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर समाज में उनका स्थान गौण था।

इस समय उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियों की विदुषी और कलाकार होने का उल्लेख मिलता है। मालवीय माधव में मालती को चित्रकला में निपुण बताया गया है। अभिज्ञान शकुन्तलम में अनुसूया को इतिहास का ज्ञाता बताया है परन्तु फिर भी कह सकते हैं कि उच्च वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था हो जाती थी लेकिन सामान्य वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा में ह्रास हुआ।

गुप्तकाल के विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इस युग में विविध वर्गों की बालिकाओं के लिये शिक्षा की व्यवस्था थी जिसमें उनके वर्गों के अनुसार अन्तर दृष्टिगोचर होता था। मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकारों ने स्त्रियों के उपनयन में व्यवधान उत्पन्न किया तथा उनके उपनयन में वैदिक मन्त्रों का उच्चारण बन्द कर दिया। मनु के नियम से उपनयन में बाधा अवश्य पड़ी परन्तु उसके बाद स्त्रियों का उपनयन पूर्णरूपेण बन्द हो गया। इसकी पुष्टि बाद के साहित्यिक ग्रन्थों से होती है। सातवीं शताब्दी में बाण की कादम्बरी में महाश्वेता नामक स्त्री का उल्लेख है। महाश्वेता का शरीर यज्ञोपवीत धारण करने से पवित्र बताया गया है किन्तु इसके अतिरिक्त इस तरह यज्ञोपवीत धारण करने का अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता है।

इससे अनुमान होता है कि इस समय तक उपनयन पूर्णतया लुप्त तो नहीं हुआ परन्तु इसकी प्रथा बहुत ही कम हो गयी थी। आठवीं शताब्दी के स्मृतिकार यम ने कहा कि स्त्रियों का उपनयन तो हो सकता था परन्तु उनके लिए ब्रह्मचारी की पुरूषोचित वेश भूषा (दण्ड, मेखला, आजिन आदि) एवं भिक्षाटन का निषेध था। नौवीं शताब्दी में मनु पर मेघातिथि के महाभाष्य से स्त्रियों के उपनयन संस्कार में पुनः प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। मनुस्मृति पर बाद के नारायण, गोविन्द आदि अन्य टीकाकारों ने भी मेघातिथि के मत का ही समर्थन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनयन जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा सम्बन्धी संस्कार का महत्व स्त्रियों के लिए कम हो गया था फिर भी स्त्रियों के उपनयन को पूर्णतया अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्यारहवीं शताब्दी की वृहत्तकथा मंजरी से ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ संध्या आदि वैदिक क्रियायें करती थीं। इन क्रियाओं का अधिकार उपनयन संस्कार के बाद ही प्राप्त होता है, अतः स्त्रियों के उपनयन का संकेत मिलता है।

उपर्युक्त उल्लेखों से ज्ञात होता है कि कालान्तर में उपनयन का शिक्षा सम्बन्धी महत्व कम हो गया था। उपनयन का महत्व केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बालकों के लिए भी कम हो गया। स्त्रियों का उपनयन संस्कार न होना सामान्य रूप से स्त्री शिक्षा के

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 93-96 , ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

ह्रास का द्योतक है। साधारण परिवारों में तो शिक्षा का प्रसार बहुत अधिक नहीं था किन्तु उच्च परिवारों और राजघरानों की बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक उन्नत थी।

उच्च वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा

राजकुमारियों और प्रभावशाली व्यक्यिों की पुत्रियों को गुणवत्ता के आधार पर मार्ग दर्शन के निमित्त व्यक्तिगत शिक्षक रखे जाते थे। महाकाव्यों से भी शिक्षित स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। कौशल्य और तारा मंत्रविद् नारियाँ थी। सीता नित्य संध्या–पूजन करती थी और आत्रेय द्वारा वेदान्त अध्ययन करने का उल्लेख मिलता है। कैकेयी अस्त्र–शस्त्र की शिक्षा में निष्णात थी। महाभारत में सुलभा को जीवनपर्यन्त वेदान्त का अध्ययन करते हुए दिखाया गया है। द्रोपदी भी पण्डिता थी। उत्तरा ने अर्जुन से संगीत और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी।

सामान्यतः उच्च वर्ग की स्त्रियाँ अपने भाईयों से अध्ययन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई नहीं थी। कुमारसंभवम् से स्पष्ट होता है कि लड़कियों को घर पर व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाता था। कालिदास कहते है कि उमा ने भी विद्या प्राप्त की थी। मालविकग्निमित्रम् से ज्ञात होता है कि दक्ष की पत्नी अपने पति के नाम के अक्षरों से कविता बनाने में समर्थ थी। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तलम में प्रेमिकाओं द्वारा कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिखने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार वात्स्यायन के कामसूत्र में भी स्त्रियों द्वारा लिखे पत्रों का उल्लेख है। परम्परागत साहित्यिक कथानक से ज्ञात होता है कि कालिदास की पत्नी का महान साहित्यिक व्यक्तित्व था जिन्होंने खुले वाद–विवाद में बहुत से विद्वानों को हराया था। परम्परागत लोक साहित्य से यह भी ज्ञात है कि कालिदास राजा करनाट की विदुषी पत्नी को पराजित करने में असफल रहे। इस काल में ऐसी भी शिक्षित स्त्रियाँ हुई हैं जो शासन व्यवस्था और राज्य के प्रबन्ध में दक्ष होती थी तथा शासक अथवा अभिभावक के अभाव में स्वयं प्रशासन का संचालन करती थीं। वाकाटक वंश की रानी और गुप्तवंशीय सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता (चौथी सदी) ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात् पुत्र की अल्पवयस्कतावश स्वयं शासन किया था।

शिक्षण विषय

वात्स्यायन (कामसूत्र 1, 3, 16) ने लिखा है कि बालिकाओं को चौंसठ कलाओं की शिक्षा देनी चाहिये। इस वर्ग की बालिकाओं को साधरणतया गृह विज्ञान तथा ललित कलाओं यथा, संगीत, चित्रकला, नृत्य, माल्यग्रंथन आदि की ही विशेष शिक्षा दी जाती थी।

स्त्रियों द्वारा शास्त्रों का अध्ययन

वैदिक काल में स्त्रियों के शास्त्र अध्ययन में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। वे सभी विषयेां का समान रूप से अध्ययन एवं अध्यापन करती थी। पुरूषों के साथ–साथ मंत्र पाठ एवं यज्ञादि क्रिया सम्पादित करती थी। यह तभी संभव हो पाता था क्योंकि वे घर पर अथवा गुरूकुलों में शास्त्रों का अध्ययन करती थी। परन्तु समय के साथ आचार्यों की विचारधारा में परिवर्तन आया। जहाँ पुरूषों को बाह्य कार्यों के उपयुक्त पाया गया वहीं स्त्रियों को गृहकार्य में दक्षता दिलाने की धारणा प्रबल हुई। अतः शास्त्र अध्ययन में लगने वाले समय से स्त्रियों को मुक्त करना उचित समझा तथा ऐसी व्यवस्था की गई कि स्त्रियों को घरेलू एवं व्यवसायिक कार्यों में दक्ष बनाया जाये।

उपनयन संस्कार में बाधा उत्पन्न होने से भी शास्त्राध्ययन में रूकावट आयी क्योंकि बिना उपनयन संस्कार के शास्त्राध्ययन की अनुमति नहीं थी। परन्तु वात्स्यायन के अनुसार स्त्रियों को शास्त्रों की शिक्षा एवं उसके व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान दिया जाना चाहिए। एक स्त्री द्वारा प्राप्त की गयी कामसूत्र की व्यवहारिक शिक्षा की सफलता शास्त्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही सम्भव है। कामसूत्र के प्रायोगिक ज्ञान की सफलता स्त्रियों द्वारा प्राप्त शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है। कामसूत्र में वात्स्यायन ने नारी शिक्षा के लिए योजना का वर्णन करते हुए कहा है कि एक नारी को अपने युवाकाल के पूर्व ही कामसूत्र के बारे में अध्ययन करना चाहिए। विवाहित नारी को अपने पति की सहमति से अध्ययन करना चाहिये।

वात्स्यायन के उपर्युक्त कथन से यह प्रकट होता है कि राजकुमारियों और उच्च वर्गों की बालिकाओं को चौंसठ कलाओं में विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। साथ ही यह भी उम्मीद की जाती थी कि इन कौशलों में प्रशिक्षित राजकुमारियाँ या उच्च वर्ग की स्त्रियाँ अपने पति के अन्तःपुर में उपस्थित हजारों स्त्रियों के होने पर भी अपने पति को अपने अनुरूप बनाये रखेंगी।

नृत्य एवं संगीत की शिक्षा

इस युग में स्त्रियों की शिक्षा में नृत्य एवं संगीत से सम्बन्धित विषयों की प्रधानता थी। अनेक स्त्रियाँ नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा ग्रहण करती थीं। नृत्य एवं संगीत में स्त्रियों की सदा से रूचि रही है। रामायण से ज्ञात होता है कि चित्रकी के गर्भ से उत्पन्न राजर्षि कुशनवा की सौ पुत्रियाँ पूर्ण रूप से नृत्य, गीत और संगीत में पारंगत थीं। लंका के राजा रावण की पत्नी भी नृत्य और संगीत में पूर्ण रूप से प्रवीण था। महाभारत में वर्णित है कि राजा विराट ने नाट्य शाला का निर्माण कराया था जिसमें उनकी

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 93-96 , ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

पुत्रियों को नृत्य तथा संगीत सिखाया जाता था। वात्स्यायन ने भी संगीत शाला का उल्लेख किया है। मालविकाग्निमित्रम् में भी संगीत शाला का प्रसंग है जहाँ मालविका को नृत्य एवं अभिनय की शिक्षा चण्डसेन द्वारा दी जाती थी। मालविका ने जिस नृत्य को चण्डसेन से सीखा उसे चलित कहते हैं जिसमें पाँच प्रकार से शरीर का अभियन किया जाता है। जब रानी धारिणी ने नौकरानी से मालविका की उन्नति के विषय में जानना चाहा तो उसके शिक्षक ने स्वतः उसके गुणों को बताया था और कहा कि रानी को यह सूचना दी जानी चाहिए कि मालविका सभी प्रकार से चतुर और बुद्धिमान है। हमारे द्वारा अभिनय में भावों को प्रदर्शित करने हेतु जो चाल सिखायी जाती है वह जैसे सीखते है पुनः वैसा ही प्रदर्शित कर देती है। मालविकग्निमित्रम् में ऐसी दो संगीत एवं कलाओं में कुशल कन्याओं का उल्लेख है जो विदर्भ देश के अग्निमित्र को भेजी गई थीं।

इस प्रकार धनी, सुसंस्कृत, सामन्त और राजघरानों में नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इनकी शिक्षा में नृत्य, संगीत एवं अन्य ललित कलाओं की शिक्षा पर ही विशेष बल दिये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इनकी शिक्षा का उद्देश्य इन्हें पुरूष के उपभोग हेतु तैयार करना था जिसका प्रारम्भ कौटिल्य के समय से ही प्रतीत होता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में महिला गुलामों की अनेक विषयों की शिक्षा के साथ–साथ नृत्य, संगीत एवं विभिन्न कलाओं की शिक्षा पर बल दिया है।

साधारण परिवारों में नारी शिक्षा

साधारण परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए किसी सुगठित औपचारिक विद्यालय की स्थापना नहीं की गयी थी। साधारण परिवारों में महिलाओं को प्रायः साहित्य और ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। निश्चय ही इस शिक्षा का उद्देश्य महिलाओं को आत्म निर्भर बनाना न था किन्तु आपत्ति काल में अपने और अपने पुत्रों के भरण–पोषण के लिए हिन्दू नारी कातने और बुनने आदि का काम कर सकती थी। पालि साहित्य में ऐसे भी वर्णन आये हैं जब पति को आश्वासन देते हुए पत्नी कहती है कि वे कात–बुनकर परिवार को संभाल लेंगी।

घरेलू एवं व्यवसायिक शिक्षा

पूर्वकाल में जहाँ बालिकायें सह शिक्षा के साथ विभिन्न कलाओं की शिक्षा पाती थीं, इस काल में उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य घरेलू गृहणी बनाना रह गया था। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में विवाहित स्त्रियों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। स्त्रियों को घरेलू कार्यों में दक्षता उत्पन्न करने के लिए उन्होंने गृहस्थी सम्बन्धी अनेक कार्यों को सीखने पर बल दिया। उन्होंने बागवानी की शिक्षा पर बल दिया और कहा कि उन्हें अपने बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने चाहिये। उन्हें विभिन्न प्रकार की औषधियों और सब्जियों के बीजों को लगाना चाहिए तथा उनके उगाने के समय की जानकारी होनी चाहिए। दैनिक खर्च से बचे हुए दही से उन्हें मक्खन निकालना और तेल के बीजों से तेल और कपास से सूत निकाल कर उससे कपड़ा बुनना सीखना चाहिए। साथ ही पानी खींचने तथा पशु को बाँधने हेतु रस्सी तैयार करना, धान को कूटना, साफ करना एवं उबले चावल के प्रयोग को सुनिश्चित करना, कण खुद्दी को अलग करना, नौकरों की मजदूरी की जानकारी और उसे वितरित करना, खेती का कार्य देखना, पशुओं पर ध्यान देना तथा वाहन के निर्माण का पूर्ण ज्ञान रखना चाहिये। भेड़, मुर्गे, तोते, कोयल, बन्दर और हिरन की भी देखभाल करनी चाहिए। प्रतिदिन के आय व्यय का हिसाब रखना आदि सभी पत्नी के कर्तव्य हैं जिनका उसे पालन करना चाहिये।

इस प्रकार वात्स्यायन ने स्त्रियों के गृह कार्य में दक्ष होने पर बल दिया। मनु के अनुसार स्त्री अपने पति के खर्चे देखने का कार्य करती हैं और गृह की व्यवस्था एवं सफाई का कार्य देखती है, स्वजनों के लिए घर के कार्यों में ध्यान देती हैं। अतः उसे बिस्तर, पहनने योग्य परिधान और गृह सज्जा में उपयोगी सामानों की जानकारी होनी चाहिये। इनके अनुसार आकस्मिक घटना पर पत्नी ही पुरूष की सेवा एवं चिकित्सीय कार्यों में सहयोग करती हैं। कौटिल्य ने भी लिखा है कि कपास एवं पटुआ से रेशे निकालना, कताई करना आदि कार्य सभी जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। मनु के कथन से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को परिचारिका के कार्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता रहा होगा। स्त्रियों के कार्य में घरेलू कार्यों के साथ साथ घर के बाहर के कार्य भी सम्मिलित थे।

उपरोक्त सभी वर्गों का प्रशिक्षण अपने घर में लड़कियों को प्रारम्भिक अवस्था से ही अपनी माता की देखरेख में प्राप्त होता था। उसे यह अधिकार होता था कि वह अपने पति के धन के संग्रह एवं व्यय का कार्य करें अर्थात् उसे लेख–जोखा का प्रारम्भिक ज्ञान होना चाहिये।

गणिकावृत्ति प्रशिक्षण– वात्स्यायन ने इसके गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि एक गणिका को यौन विज्ञान एवं इसकी सहायक कलाओं की जानकारी होनी चाहिये। इनके अनुसार गणिकायें चौंसठ कलाओं की सहायता से अपने व्यवसाय में संवर्द्धन करें। इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि गणिकायें अपनी कला को बढ़ाने हेतु कलाओं के ऊपर वाद–विवाद का भी उपयोग कर सकती थीं। इन चौंसठ कलाओं के ज्ञान के उपरान्त जो स्त्री सुन्दर एवं अच्छे गुणों से युक्त होती थी, उसे गणिका की श्रेणी में रखा जाता था। साथ ही उसे समाज में आदरसूचक स्थान प्राप्त होता था। राजाओं द्वारा उन्हें कलाओं की निपुणता पर पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार वे अपने वर्ग की स्त्रियों के लिए आदर्श उदाहरण भी बन जाती थीं।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 93-96 , ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

गणिकाओं की पुत्रियों की शिक्षा–वात्स्यायन ने गणिकाओं की पुत्रियों की शिक्षा के लिए कुछ नियम बनाये हैं। उनका कहना है कि गणिकाओं को अपनी पुत्रियों को इस व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करने हेतु अपनी किसी स्त्री मित्र द्वारा प्रशिक्षित कराया जाना चाहिए। इस काल में नटों की पुत्रियों एवं देव दासियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। कामसूत्र में गणिका को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के विवरणों से पता चलता है कि इस व्यवसाय की अपेक्षाकृत अधिक मांग थी क्योंकि गणिका को बहुधा जापान की 'गीशा' अथवा यूनान की 'हिटाएरा' की भाँति शिश्टाचार सिखाने वाले सहचरी के रूप में रखा जाता था।

स्त्री सैन्य शिक्षा– युद्ध कला एवं सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण का सम्बन्ध पुरूषों से था परन्तु परिवेशानुसार स्त्रियों को भी इसकी शिक्षा दी जाती थी ताकि आवश्यकता पड़ने पर आत्म रक्षा एवं युद्ध में भी सहयोगी के रूप में सफल भूमिका निभा सकें। ऋग्वेद के मन्त्रों में अनाथ युवतियों के भारी संख्या में सेना से सम्मिलित होने का वर्णन मिलता है। पाणिनी की अष्टाध्यायी में प्रयुक्त शब्द 'शक्तिकी' का पतंजलि ने प्रयोग किया है उसका अर्थ है वर्छाधारी महिला। रामायाण महाकाव्य में कैकेयी द्वारा अपने पति महाराजा दशरथ की युद्ध में शत्रुओं से लड़ते हुए रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन ने चौंसठ सामान्य कलाओं में भी इस कला का समावेश किया है। कौटिल्य ने कहा है कि बिस्तर से जगने पर राजा का स्वागत धनुष धारण किये हुए महिला सैन्य दल द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियां वैदिक यज्ञों में भाग लेती थी एवं उनका उपनयन भी होता था, परन्तु गुप्त काल में नारी के सम्मान एवं अधिकारों में कमी आने लगी थी। इनकी स्वतंत्रता को अनेक प्रकार से बाधित किया गया। यद्यपि स्त्रियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के विषय में इस युग के कतिपय स्मृतिकारों ने उदारता दिखाई परन्तु अधिकांश ने सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार में पुत्र के पक्ष में ही विधान बनाया। इस युग में धर्म शास्त्रकारों ने स्त्रियों के उपनयन की प्रथा पर पूर्ण रोक लगा दी जिससे स्त्रियों के शैक्षिक अधिकार भी बाधित हुए। अल्प आयु में विवाह की प्रवृत्ति का भी गुप्तकाल में आरम्भ हुआ जिससे बालिकाओं को अधिक समय तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता था। फिर भी स्त्रियों को शिक्षा से पूर्णतः वंचित नहीं किया गया। राजपरिवारों एवं सामन्त परिवारों की स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था अन्य वर्गों की नारियों की अपेक्षा अधिक उन्नत थी। इन्हें न केवल विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी जाती थी वरन् राज्य संचालन का भी प्रशिक्षण दिया जाता था पर इनकी शिक्षा में नृत्य–संगीत विशय की प्रधानता थी। इनकी शिक्षा का स्तर इतना उन्नत नहीं था कि वे सार्वजनिक जीवन में भाग लेकर वैदिक काल की महिलाओं की तरह बौद्धिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। साधारण परिवार की नारियों की शिक्षा का उद्देश्य उन्हें योग्य गृहणी बनाना था जिससे वे घर एवं परिवार की व्यवस्था का संचालन सफलतापूर्णक कर सके। इसके लिये इस तरह के शिक्षण विषय निर्धारित किये गये थे जो उन्हें गृहोपयोगी कार्यों में दक्षता प्राप्त करने में सहायक हो सके।

इस प्रकार उच्च एवं सामान्य दोनों वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था उनकी सामाजिक स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गयी परन्तु इनको शिक्षित करने का उद्देश्य मात्र इतना था कि वे अपने पारिवारिक जीवन का संचालन कुशलतापूर्वक कर सकें। यद्यपि समृद्ध परिवारों में शिक्षा का किसी हद तक प्रचार था तथापि सामाजिक एवं धार्मिक आदर्शो के परिवर्तन तथा राजनैतिक उथल–पुथल के कारणों से जन साधारण में स्त्री शिक्षा का उत्तरोत्तर ह्रास दृष्टिगोचर होता है।

सन्दर्भ

ए0एल0 अल्तेकर (1948), दि पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, इण्डियन बुक शॉप, वनारस, पृष्ठ 14
ओम प्रकाश (2001), प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 317
श्री नेत्र पाण्डेय (1994), प्राचीन भारत का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ 260
वैटर्स टी0 (1905), ऑन हेनसांग ट्रैवल्स इन इण्डिया, टी0डब्लू0 राइस डेविड एण्ड एस0डब्लू0 बुसेल लन्दन, पृष्ठ 254
कालिदास, अभिज्ञान शाकुन्तलम्, एम0आर0 काले द्वारा अनूदित (1961), निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, पृष्ठ 104
ए0एस0 अल्तेकर (1951), प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, इण्डियन बुकशॉप, बनारस, पृष्ठ 157
कौटिल्य, अर्थशास्त्र, आर0 श्यामशास्त्री अंगरेजी अनुवाद (1920), मित्रा प्रेस, कलकत्ता, पृष्ठ 140–141